राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 113/2013/अजमेर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स गिरधर गोपाल एण्ड कम्पनी,
ब्यावर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलाथी की ओर से
श्री वी.के गर्ग
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 26.09.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,बीकानेर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 56/11–12/वैट/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 03.07.2012 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 33,622/–आरोपित की गई है, अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.07.2010 को वाहन संख्या आर.जे. 22जी/1088 को जांच करने पर माल प्रभारी/वाहन चालक से कर निर्धारण अधिकारी ने ने परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर उसके द्वारा जी आर संख्या 1013 दिनांक 21.07.2010, चालान संख्या 197 दिनांक 21.07.2010 तथा पैकिंग स्लिम कम चालान आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर प्रस्तुत दस्तावेजों में टिन नम्बर नही लिखे होने के कारण परिवहनित माल एवं दस्तावजों के सत्यापन हेतु निर्देश दिये गये। नोटिस की पालना में दस्तावेज के सत्यापन हेतु चालान बुक प्रस्तुत नही की गई तथा प्रस्तुत बिल की फैक्स प्रति प्रस्तुत की गई एवं परिवहनित माल उसी दिन छोडने का निवेदन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) का उल्लंघन मानते हुए माल की कीमत रू. 1,12,072/– पर अधिनियम की धारा76 (6) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत से शास्ति रू. 33,622/–आरोपित कर आदेश दिनांक 22.07.2010 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 22.07.2010 से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर व्यवहारी की अपील स्वीकार कर

आरोपित शास्ति रू. 33,622/–को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2012 पारित किया, जिससे क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2012 विधि के विरूद्ध तथा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ माल का बिल नहीं था और वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में टिन नम्बर नहीं होने से उनका सत्यापन कराने हेतु निर्देश दिये,जिनकी पालना में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया गया बल्कि अभियोग का उसी दिन निस्तारण कर माल छोडने का निवेदन किया गयाइ सलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) का उल्लंघन मानकर शास्ति रू. 33,622/–आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक एवं उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है,जो पूर्णतः अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया ।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को अमान्य किया गया, जो अनुचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों की विवेचन के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने अपीलीय स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को दोहराते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त प्रस्तुत चालान में टिन नम्बर नही होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 33,622/–आरोपित की गई है। चालान में टिन नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से नोटिस जारी करने की दिनांक अर्थात 22.07.2010 को नोटिस के जवाब के साथ बिल नम्बर 200 दिनांक 21.07.2010 को बिल की फैक्स के द्वारा मंगाकर पेश कर दी थी,जिस पर टिन नम्बर 08021301845 अंकित है तथा बिल बीकानेर सेल्स कारपोरेशन,बीकानेर अंकित किया हुआ है, पेश कर कर दिया गया था। उक्त बिल के अनुसार ही माल पाया गया था। कर निर्धारण

अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 22.07.2010 को नोटिस जारी करके दिनांक 29.07.2010 तक पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से नोटिस जारी करने की दिनांक को ही फैक्स द्वारा वैट इनवाईस बिल नम्बर 200 दिनांक 21.07.2010 मंगाकर जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें टिन नम्बर अंकित था। कर निर्धारण अधिकारी को यदि सन्देह था तो उनके समक्ष प्रस्तुत बिल की जांच के पश्चात शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही करना चाहिए था, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं करके, नोटिस जारी करने की दिनांक 22.07.2010 को ही आदेश पारित कर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत क्रार्यवाही करते हुए शास्ति आरोपित कर दी गई, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन कर, उनके समक्ष उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आतीी है। फलस्वरूप कर निर्धिारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करते अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य